

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
(शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार का एक स्वायत्त संगठन)
वरुण, मार्ग, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली 110024

फा0सं0:- प्रसा0/परिपत्र/2008-09/8618-45

दिनांक 13/9/2022

परिपत्र

विषय : हिन्दी दिवस 14 सितंबर 2022 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव दिल्ली, का संदेश।

माननीय मुख्य सचिव दिल्ली द्वारा हिन्दी दिवस 14 सितंबर 2022 के अवसर पर भेजे गए सलंगन संदेश को सभी एस0सी0ई0आर0टी0 के शाखा प्रभारी एवं डाइटो के प्रधानचार्यों को परिचालित हेतु भेजा जा रहा है ताकि वे माननीय मुख्य सचिव के संदेश से अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत करा सके।



महीष

अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0
2. निजी सचिव संयुक्त निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0
3. प्रधानाचार्य समस्त डाइट
4. समस्त शाखा प्रभारी एस0सी0ई0आर0टी0
- ✓ 5. नूडल अधिकारी डब्लू0आई0एम0
6. पुस्तकालय प्रभारी
7. कार्यालय प्रतिलिपि

D.350/INSET
SCERT
13/09/22



महीष

अनुभाग अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सातवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।

फा0सं0 5(01) 2019-20 क0सं0 एवं भाषा/1968-2048
सेवा में,

दिनांक : 07/09/2022.

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली,

विषय: "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2022 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश।
महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी जारी किए जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है, अतः आवश्यक है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किए जाने चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2022 को "हिन्दी दिवस" अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली के संदेश को अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिए परिचालित करें। इस पत्र के साथ कुछ सूचितियां भी संलग्न हैं।

भवदीया

(प्रोमिला मित्रा)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दिनांक 07/09/2022

फा0सं0 5(01)2019-2020-क0सं0 एवं भा0/1968-2048
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सांवेद्य, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, पांचवा तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तृतीय तल, एन.डी.सी.सी. ॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-01।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली।
7. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
12. प्रबंधक(मा.सं), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एन भवन राजघाट, पाथर हाउस, नई दिल्ली-02
13. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस बिल्डिंग, विश्वास नगर दिल्ली।
14. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
15. निर्देशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियों/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
17. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में/गार्ड फाइल

Diary No. 3517
89 SEP 2022
S.O.E.N.F.
Defence Colony, New Delhi

1934/Admn
12-9-2022

(प्रोमिला मित्रा)
उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

रिश कुमार, भा.प्र.से.
NARESH KUMAR, I.A.S



मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
Chief Secretary
Government of NCT of Delhi

फा.सं. 05(01)/2014-15/अ.सं. 27/2022

दिनांक :- 07/09/2022

संदेश

"हिन्दी दिवस"

14 सितम्बर, 2022

हिन्दी दिवस पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान सभा द्वारा 14.9.1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाते हैं।

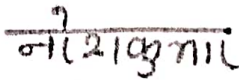
एक राष्ट्र के रूप में भारत बड़ी संख्या में भाषाओं और बोलियों में समृद्ध है तथा अपनी पंहुच, सादगी और स्वीकार्यता के चलते हिन्दी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। क्षेत्र, धर्म और संस्कृति की बाधाओं को पार करके इसने भारत संघ की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। अभिव्यक्ति और संचार के माध्यमों में इसकी सहज स्वीकार्यता के कारण सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने हिन्दी के और अधिक विकास को संभव बना दिया है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अब कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकारी कामकाज हिन्दी में किए जाने की दिशा में प्रगति हो रही है, परंतु यह प्रगति यथेष्ट नहीं है। अतः हमें इसे और आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास करने होंगे।

दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2022 के महत्वपूर्ण अवसर को अपने स्तर पर अधिकाधिक उत्साहपूर्वक मनाते हुए हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़े का आयोजन करना चाहिए।

मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से भी यह अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने के लिए प्रेरित करें। आइये हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर-राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनों रूपों में हिन्दी के विकास के प्रति हम अपने आपको समर्पित करें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निश्चय करना चाहिए कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।


(नरेश कुमार)
मुख्य सचिव, दिल्ली